उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या– H16144/सी–5/197/OA No. 404/24 दिनांक 23/08/24

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 13.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 404/2024, Banwari Lal Versus State of UP & Ors. with Original Application No. 405/2024, Adarsh Mehrotra Versus Union of India & Ors with Original Application No. 403/2024, Sewage Treatment Plant through Narendra Kumar Versus State of Uttar Pradesh & Ors with Original Application No. 406/2024 Rajesh Kumar Tripathi Versus Nagar Nigam Lucknow.

Sir,

In compliance to the order dated 13.05.2024 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 404/2024, Banwari Lal Versus State of UP & Ors. with Original Application No. 405/2024, Adarsh Mehrotra Versus Union of India & Ors with Original Application No. 403/2024, Sewage Treatment Plant through Narendra Kumar Versus State of Uttar Pradesh & Ors with Original Application No. 406/2024 Rajesh Kumar Tripathi Versus Nagar Nigam Lucknow, the response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is hereby attached with a request that the same may be put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Vivek Roy)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
2. Chief Law Officer (Incharge), UPPCB, Lucknow.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

Scanned with OKEN Scanner

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 13-05-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 404/2024, Banwari Lal Versus State of UP & Ors. with Original Application No. 405/2024, Adarsh Mehrotra Versus Union of India & Ors with Original Application No. 403/2024, Sewage Treatment Plant through Narendra Kumar Versus State of Uttar Pradesh & Ors with Original Application No. 406/2024 Rajesh Kumar Tripathi Versus Nagar Nigam Lucknow

1. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 13-05-2024 has passed the following directions :

   "*....1. The OA has come up for the first time after transfer from the High Court. Hence, we direct the Registry of the NGT to issue notice to all the parties (petitioner and respondents) intimating the next date of hearing.....*"

2. That River Gomti originates from the Madhotanda, Gomad Lake (Phooler Lake), Pilibhit. The river passes through, Lakhimpur Kheri, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Barabanki, Sultanpur and Jaunpur. During its journey, its traverses approximately 821 Kms. and ultimately confluences in sacred River Ganga near village Kaithi of Tehsil Shaidpur of district Ghazipur. River Sarayan, which is a tributary of river Gomti confluences with it at village-Kantaian, District-Sitapur before meeting river Sarayan, River Gomti looks like a drain after confluence with Sarayan it actually looks like a river.

3. **Status of Sewage Management:** That as per the information provided by Jal Nigam / Namami Gange / Urban Development Department and Desk inventory of UPPCB at present the total estimated sewage generation in the catchment of River Gomti through 70 major drains is approximately 871.47 MLD. There are 09 main towns namely Pilibhit, Sitapur, Lucknow, Shahjahanpur, Barabanki, Jagdishpur, Hardoi, Sultanpur, Jaunpurare located in the catchment area of the

G. C. EE

river. The sewage and other effluent generated from these cities contribute to the organic load of the river. The treatment of sewage is a major issue of concern as the total installed capacity of the Sewage Treatment Plants is 533.5 MLD and utilized capacity is approx.469.06 MLD. The State has already planned to establish 477.68 MLD of additional treatment capacity by way of establishment of 26 STPs by December 2025. The status of sewage management is summarized below:

District	No. of Drains	Total Sewage Generation (MLD)	STP Installed			Gap (MLD)	STP proposed
			Number	Installed Capacity (MLD)	Utilized Capacity (MLD)		
Pilibhit	1	0.035	0	0	0	0.035	12 MLD (3 STPs)
Shahjahanpur	1	0.06	1	40	0.06	0	No proposal
Lucknow	35	779.5	5	446.5	425	354.5	406.5 MLD (7 STPs)
Sitapur	2	23	0	0	0	23	23.97 MLD (6 STPs)
Barabanki	2	16	0	0	0	16	No proposal
Jagdishpur	1	5	0	0	0	5	2.75MLD (1STP)
Sultanpur	7	15.23	3	17	14	1.23	No proposal
Hardoi (Sandila)	1	0.5	0	0	0	0.5	10.25 MLD (1 STP)
Jaunpur	20	32.14	1	30	30	2.14	22.21 MLD (11 STPs)
Total	**70**	**871.47**	**10**	**533.5**	**469.06**	**402.41**	**477.68 MLD (26 STPs)**

4. That UPPCB has imposed Environmental Compensation of ₹ 82.375 Lakh since year 2022 against 04 defaulting STPs. List of defaulter STPs with Environmental Compensation amount is tabulated as below: -

- **345 MLD STP, Bharwara, Lucknow:**

Board vide Letter dated	Default Period	Environmental Compensation (Rs. Lakhs)
09.12.2022	03.10.2022 to 16.10.2022	5.25
06.01.2023	06.12.2022 to 19.12.2022	5.25
01.02.2023	20.12.2022 to 09.01.2023	7.875
01.03.2023	10.01.2023 to 22.01.2023	4.875
Total Imposed Environmental Compensation		**Rs. 23.25 Lakhs**

- **56 MLD STP, Daulatganj, Lucknow:**

Board vide Letter dated	Default Period	Environmental Compensation (Rs. Lakhs)
09.12.2022	03.10.2022 to 16.10.2022	5.25
06.01.2023	06.12.2022 to 19.12.2022	5.25
01.02.2023	20.12.2022 to 09.01.2023	7.875
01.03.2023	10.01.2023 to 22.01.2023	4.875
Total Imposed Environmental Compensation		**Rs. 23.25 Lakhs**

- **37.5 MLD STP, Awas Vikas Parishad, Lucknow:**

Board vide Letter dated	Default Period	Environmental Compensation (Rs. Lakhs)
09.12.2022	03.10.2022 to 28.10.2022	9.375
Total Imposed Environmental Compensation		**Rs. 9.375 Lakhs**

- **6.5 MLD STP, Awas Vikas Parishad, Lucknow:**

Board vide Letter dated	Default Period	Environmental Compensation (Rs. Lakhs)
09.12.2022	03.10.2022 to 30.10.2022	7.0
29.12.2022	31.10.2022 to 21.11.2022	5.5
06.01.2023	22.11.2022 to 19.12.2022	7.0
01.02.2023	20.12.2022 to 01.01.2023	3.25
04.07.2024	23.01.2024 to 28.01.2024 and 05.02.2024 to 13.02.2024	3.75
Total Imposed Environmental Compensation		**Rs. 26.5 Lakhs**
Grand Totalof Imposed Environmental Compensation		**Rs. 82.375 Lakhs**

5. That the concerning authorities has not deposited the Environmental Compensation in account with UPPCB. Further UPPCB vide letter dated 12.01.2024 has issued direction to District Magistrate, Lucknow for recovery of Environmental Compensation imposed against defaulting STPs. letter dated 12.01.2024 is annexed as **Annexure-01.**
6. **Status of Solid Waste Management:** That as per the information provided by Urban Development Department at present the total estimated Solid Waste Generation in the catchment of River Gomti is approximately 2852.44 TPD. Total installed capacity of the Solid waste Processing Plants is 2189 TPD. The State

has planned to establish 443TPD of additional capacity by March 2025. The status ofSolid Waste Management is summarized below:

District	Total Solid Waste Generation (TPD)	Processing Facilities Installed		Gap (TPD)	Processing facilities proposed
		Number	processing Capacity (TPD)		
Pilibhit	123.15	• 9 MRF • 01Compost Pit	• MRF 45 TPD • Compost pit 10 TPD	68.15	• 1 MSW plant (60 TPD) • 2 MRF(10 TPD)
Shahjahanpur	215.74	• 1 MSW plant • 9 MRF • 15Compost Pit	• MSW plant 90 TPD • MRF 45 TPD • Compost Pit 18 TPD	62.74	• 1 MSW plant (130 TPD) • 7 MRF (35 TPD)
Lucknow	2000	• 1 MSW plant • 19 MRF • 157 Compost Pit	• MSW plant 1300TPD • MRF 95 TPD • Compost Pit 258 TPD	347	• 2 MRF(10 TPD) • 2 Compost Pit (8 TPD)
Sitapur	188.5	• 12 MRF • 106 Compost Pit	• MRF 60 TPD • Compost pit 82 TPD	46.5	• 4 MRF(20 TPD) • 1 Compost Pit (3 TPD)
Barabanki	150	13 MRF	MRF 65 TPD	85	• 1 MRF(5 TPD) • 1 Compost Pit (3 TPD)
Amethi (Jagdishpur)	16	• 2 MRF • 2 Compost Pit	• MRF 10TPD • Compost pit 6TPD	00	No proposal
Sultanpur	39.94	5 MRF	MRF 25 TPD	14.94	2 MRF (10 TPD)
Hardoi (Sandila)	19.11	• 2 MRF • 3Compost Pit	• MRF 10TPD • Compost pit 15TPD	00	• 1 MSW plant (50 TPD) • 13 Compost Pit (55 TPD)
Jaunpur	99.25	11 MRF	MRF 55 TPD	44.25	• 2 MRF (10 TPD) • 8 Compost pit(34 TPD)
Total	**2852.44 TPD**	**364 facilities**	**2189 TPD**	**663.44**	**443 TPD**

7. That UPPCB has imposed Environmental Compensation of Rs. 56.9 Cr against Nagar Nigam, Lucknow and the processing facility M/s Ecogreen Energy Pvt.

Ltd. Shivri, Mohan Road, Lucknow for violation of the provisions of Solid Waste Management Rules 2016. Details is given below:

Letter dated	Default Period	Department/ Institution	Environmental Compensation (Rs. Cr)
27.07.2020	03.09.2019 to 19.12.2019	Nagar Nigam, Lucknow	14.4
27.01.2023	01.01.2020 to 28.10.2020	M/s Ecogreen Energy Pvt. Ltd. Shivri, Mohan Road, Lucknow	25.32
04.03.2023	22.08.2022 to 25.01.2023		17.2
Total Imposed Environmental Compensation			**Rs. 56.9 Cr.**

8. That the concerning authorities has not deposited the Environmental Compensation in the account of UPPCB. Further UPPCB vide letter dated 30.07.2024 has issued direction to District Magistrate, Lucknow for recovery of Environmental Compensation. Letter dated 30.07.2024 is annexed as **Annexure-02.**
9. **Status of Legacy Waste Management:** That as per the information provided by Urban Development Department total quantum of Legacy Waste in the catchment of River Gomti is 29 Lakh Ton. State has remediated 9 Lakh Ton of Legacy Waste and the rest 20 Lakh Ton of Legacy Waste shall be remediated by December 2024.

Therefore, the response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for perusal and kind consideration.

Annexure-01

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/2023

दिनांक: 12-1-24

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद–लखनऊ
मो0 नं0–**9415005000**

विषयः जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न–04 एस0टी0पी0) के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्रांकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न–04 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरूद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

सं0 65 दिनांक 01/02/ (वित्तीय वर्ष) 2324
तहसीलदार...... को वसूली प्रमाण-पत्र भू-राजस्व बकाया की भाँति वसूली करने हेतु तथा वसूली उपरान्त आख्या सहित मूल रूप में वापस करने हेतु प्रेषित

कृते कलेक्टर
लखनऊ

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

अधिकारी

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, मो0 न0 7839891696 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

जनपद–लखनऊ में एस0टी0पी0 के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।		अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	लखनऊ	345, एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, भरवारा, लखनऊ।	मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705–ए0, 705–बी पिकअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	09.12.2022	एच 85403/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022	5,25,000/-
				06.01.2023	एच 86926/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023	5,25,000/-
				01.02.2023	एच 88126/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023	7,87,500/-
				01.03.2023	एच 90119/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023	4,87,500/-
2		56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, दौलतगंज, लखनऊ।	मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705–ए0, 705–बी पिकअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	09.12.2022	एच 85401/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022	5,25,000/-
				06.01.2023	एच 86924/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023	5,25,000/-
				01.02.2023	एच 88127/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023	7,87,500/-
				01.03.2023	एच 90118/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023	4,87,500/-
3		37.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, आवास विकास परिषद, लखनऊ।	मेसर्स एस0एन0 एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एफ– 90/32, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया फेज–1, नई दिल्ली।	09.12.2022	एच 85400/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022	9,37,500/-
4		6.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, आवास विकास परिषद, लखनऊ।	मेसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स लिमिटेड, 109, सिटी सेन्टर, बच्चा पार्क, मेरठ।	09.12.2022	एच 85399/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 09.12.2022	7,00,000/-
				29.12.2022	एच 86439/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 29.12.2022	5,50,000/-
				06.01.2023	एच 86925/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023	7,00,000/-
				01.02.2023	एच 88128/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0– ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023	3,25,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति						78,62,500/-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H14997/सी–5/MSW-11/24 दिनांक 30-7-24

अनुस्मारक

Annexure-02

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–लखनऊ।
मो0 नं0–9415005000

विषयः जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योग मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्रांक–एच 03050/सी–5/सामान्य–588/23 दिनांक 20.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योग मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2020, 27.01.2023 एवं 04.03.2023 द्वारा क्रमशः रू0 14,40,70,000/– (रू0 चौदह करोड़ चालिस लाख सत्तर हजार मात्र), रू0 25,32,71,000/– (रू0 पच्चीस करोड़ बत्तिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) एवं रू0 17,20,71,000/– (रू0 सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त धनराशि की वसूली की सूचना प्राप्त नही है।

उक्त के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–08/2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 (छायाप्रति संलग्न), जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..........4. The Tribunal in the proceedings dated 05.10.2023 had taken note of the stand of Counsel for UPPCB that the amount of EC was not recovered and UPPCB was not in a position to recover the same.
5. Hence, we require the Member Secretary, UPPCB to file an affidavit before the Tribunal disclosing as to why the UPPCB is not in a position to recover the EC amount from M/s Ecogreen Energy Lucknow Private Limited. Let this affidavit be filed at least one week before the next date of hearing......."

अतः उपरोक्त के संबंध में आप से अपेक्षा है कि उद्योग मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2020, 27.01.2023 एवं 04.03.2023 (पत्र की छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्रमशः रू0 14,40,70,000/– (रू0 चौदह करोड़ चालिस लाख सत्तर हजार मात्र), रू0 25,32,71,000/– (रू0 पच्चीस करोड़ बत्तिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) एवं रू0 17,20,71,000/– (रू0 सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली कराते हुए payment gateway(URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account

...2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
web site www.uppcb.com

(2)

में जमा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। Payment gateway के Homepage dropdown मे निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1. Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति – Waste Managment Pollution
2. Regional offices/क्षेत्रीय कार्यालय – Lucknow
3. EC imposed in compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया – UPPCB

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–G 33304/सी–5/MSW-1/2020 दिनांक 27/07/2020

पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम,

लखनऊ।

यह कि जनपद–लखनऊ के ग्राम–शिवरी में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट जो कि मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, शिवरी द्वारा संचालित किया जाता है। अपशिष्ट संरकरण प्लाण्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 23.11.2019 को किये गये निरीक्षण में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण सम्बन्धी संचालन बन्द पाये जाने एवं प्लाण्ट में स्थापित सभी ट्रामल मशीन, कम्पोस्ट संयंत्र व लीचेट शोधन संयंत्र पूर्णतया बन्द होने व प्लाण्ट के कम्पोस्ट पैड, ट्रामल मशीन/लीचेट शोधन संयंत्र तथा कम्पोस्ट संयंत्र के आस–पास स्थित खुली भूमि पर लगभग 9 मीटर, 9.5 मीटर तथा 8.0 मीटर ऊंचे टीलेनुमा अनियत्रित अनसेग्रीगेटेड ठोस अपशिष्ट एकत्रित होने के कारण अत्यधिक मात्रा में लीचेट प्लान्ट परिसर के बाहर बहता हुआ एवं अन्ततः लो–लैण्ड एरिया में एकत्रित पाये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक–एच 45702/सी–5/एम.एस.डब्लू–1/19 दिनांक 30.12.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 14,40,71000/– (चौदह करोड़ चालीस लाख इकहत्तर हजार रूपये मात्र) अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ की आख्यानुसार अभी तक इकाई द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है।

यह कि अग्रेतर इकाई का पुनः निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के प्राधिकृत अधिकरियों द्वारा दिनांक 14.07.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय यह पाया गया कि इकाई में इनर्ट मैटेरियल भण्डार हेतु बनाये गये पक्का लैण्डफिल एरिया में इनर्ट मैटेरियल के अतिरिक्त भारी मात्रा में नगरीय ठोस अपशिष्ट, रंगीन पॉलीथीन बैग एवं लगभग 7–8 मृत पशुओं के शव भण्डारित पाये गये। लैण्डफिल एरिया में लीचेट जमा हुआ पाया गया। लीचेट के निस्तारण व शोधन के पाइप लाईन नेटवर्क बन्द पायी गयी है।

यह कि निरीक्षण के समय इकाई परिसर की हाउस कीपिंग (House Keeping) संतोषजनक नही पायी गयी। इकाई परिसर में लगभग 2.50 लाख मि0टन से अधिक अनट्रीटेड सालिड वेस्ट भण्डारित पाया गया जो परिसर में टीलेनुमा आकार में भण्डारित है। राज्य बोर्ड द्वारा इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.12.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन अभी तक नही किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–115/सह–2240 ए/20 दिनांक 23.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.12.2019 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध निम्नानुसार निर्देश/आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 03.09.2019 से दिनांक 18.12.2019 कुल 107 दिन की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 14,40,71000/– (चौदह करोड चालीस लाख इकहत्तर हजार रूपये मात्र) अधिरोपित किया जाता है।

.....2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट–www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 01 माह के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 14,40,71000/- (चौदह करोड चालीस लाख इकहत्तर हजार जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा भू-राजस्व की भाँति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूल करने की कार्य कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम, लखनऊ एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का हो

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अ

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त-5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र की सुनिश्चित कराते हुए प्राप्ति की रसीद एवं 01 माह के अन्दर नगर निगम, लखनऊ से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 14,40,71000/- (चौदह करोड चालीस लाख इकहत्तर हजार रूपये मात्र) बोर्ड के पक्ष में जमा कराया सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त-5

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या- H87842/सी-5/L/MSW-1/2023

दिनांक 27-1-23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स इको ग्रीन इनर्जी प्रा0लि0,
ग्राम-शिवरी, मोहान रोड,
लखनऊ।

यह कि जनपद-लखनऊ के ग्राम-शिवरी में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट जो कि मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, शिवरी, लखनऊ द्वारा संचालित किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-2357/सहमति-2240ए/2023 दिनांक 24.01.2023 द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराई गयी है। आख्यानुसार अपशिष्ट संस्करण प्लाण्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2022, 26.08.2022 एवं 30.12.2022 को किया गया।

यह कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत लखनऊ शहर में जनित ठोस अपशिष्ट का समुचित पृथक्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ व मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट प्रा0लि0 एवं कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (यूनिट आफ उ0प्र0 जल निगम) के माध्यम से त्रिपक्षी कन्सनायर एग्रीमेण्ट दिनांक 21.03.2017 सम्पादित हुआ था।

यह कि अद्यतन निरीक्षण के समय सदर्भित साइट पर लगभग 9 मीटर, 9.5 मीटर, 8 मीटर ऊँचे टीले नुमा अनियंत्रित अनसेग्रीगेटेड ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया तथा लीचेट अत्यधिक मात्रा में परिसर के बाहर बहता हुआ पाया गया। निरीक्षण दिनांक 26.08.2022 के समय प्लाण्ट परिसर की ड्रेन से बाहर निस्तारित लीचेट का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया, प्राप्त विश्लेषण आख्या में प्रचालकों की मात्रा पीएच-7.06, बी.ओ.डी.-804.0 मिग्रा0/ली0, सी.ओ.डी.-8840.0 मिग्रा0/ली0, टी.एस.एस.-532.0 मिग्रा0/ली0, ऑयल एण्ड ग्रीस-62.0 मिग्रा0/ली0 पायी गयी, जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। इकाई से जनित लीचेट नरवा नाले के माध्यम से अन्ततः सई नदी में मिलता है, जिससे नदी के जल की गुणता प्रभावित होती है।

यह कि अग्रेतर बोर्ड के पत्रांक-एच 55133/सी-5/एम.एम.डब्लू-1/2020 दिनांक 20.11.2020 द्वारा इकाई के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 28.10.2020 तक कुल डिफाल्ट 302 दिवस के उल्लंघन हेतु रू0 25.3271 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख, इक्हत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में इकाई द्वारा अपना प्रत्युत्तर पत्रांक-इको/एल.के.ओ./21-212/005 दिनांक 26.04.2021 प्रेषित किया गया है, जिसके प्रस्तर -03 पर स्वयं स्वीकार किया गया है कि "समय से भुगतान न होने की स्थिति में प्रोसेसिंग प्लाण्ट पर कूड़े के प्रसंस्करण का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण नही किया जा सका।" उक्त पत्र के प्रस्तर-04 पर उल्लेख किया गया है कि "प्लाण्ट पर विधुत आपूर्ति बन्द हो जाने के कारण माह-अक्टूबर, 2020 में प्रोसेस का कार्य पूर्ण रूप से बाधित रहा है।" अतः स्पष्ट है कि आप द्वारा नगर निगम, लखनऊ क्षेत्र में एकत्र किये गये सॉलिड वेस्ट का नियमानुसार पूर्ण प्रसंस्करण नही किया गया।

यह कि पुनः आप द्वारा पत्रांक- इको/एल.के.ओ./21-22/149 दिनांक 29.11.2021 द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें ओवर साइट कमेटी, मा0 एन.जी.टी. द्वारा माह-जुलाई 2021 में किये गये निरीक्षण में प्रसंस्करण प्लाण्ट संचालित किया जाना उल्लिखित किया गया है। जबकि उपरोक्त वर्णित इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 28.10.2020 तक की डिफाल्टर अवधि तक का है। इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर संतोषजनक नही है।

....2

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

(2)

यह कि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का निस्तारण न किये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक– 2357/सहमति–2240ए/2023 दिनांक 24.01.2023 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.11.2020 की पुष्टि करते हुए रू0 25.3271 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख, इक्हत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ को बोर्ड के पत्रांक–एच 65133/सी–5/एम.एम. डब्लू–1/2020 दिनांक 20.11.2020 द्वारा र्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित धारा–5 के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 28.10.2020 तक कुल डिफाल्ट 302 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल रूपये 25.3271 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख, इक्हत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 25.3271 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख, इक्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–**701502010002104** आई0एफ0एस0 कोड–**UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्था के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H 90293/सी–5/MSW-1/2023

दिनांक 24/03/23
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स इको ग्रीन इनर्जी प्रा0लि0,
ग्राम–शिवरी, मोहान रोड,
लखनऊ।

यह कि जनपद–लखनऊ के ग्राम–शिवरी में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट जो कि मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, शिवरी, लखनऊ द्वारा संचालित किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2537/सहमति–2240/2023 दिनांक 25.02.2023 द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराई गयी है। आख्यानुसार अपशिष्ट संस्करण प्लाण्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय अपशिष्ट प्रसंस्करण की इकाईयॉं यथा ट्रामल, कम्पोस्ट संयंत्र, लीचेट शोधन संयंत्र आदि में से मात्र 02 ट्रामल ही संचालित पाया गया।

यह कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत लखनऊ शहर में जनित ठोस अपशिष्ट का समुचित पृथ्क्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ व मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट प्रा0लि0 एवं कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (यूनिट आफ उ0प्र0 जल निगम) के माध्यम से त्रिपक्षी कन्सनायर एग्रीमेण्ट दिनांक 21.03.2017 सम्पादित हुआ था।

यह कि अद्यतन निरीक्षण के समय संदर्भित स्थल पर तथा सिक्योर लैण्डफिल फैसिलिटी (एस.एल.एफ.) साइट पर लगभग 08 से 12 मीटर ऊॅंचे टीले नुमा अनियंत्रित अनसेग्रीगेटेड ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया, जिसके कारण प्लाण्ट में आने–जाने के रास्ते भी अवरूद्ध पाये गये। प्रसंस्करण प्लाण्ट पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट से जनित लीचेट परिसर में यत्र–तत्र भण्डारित पाया गया, जो नालियों के माध्यम से परिसर के बाहर नरवा नाले में प्रवाहित होता है, जो अन्ततः सई नदी में ग्राम–मदोही के निकट मिलता है। प्लाण्ट परिसर में लगभग 08 से 09 लाख मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (लिगैसी वेस्ट) भण्डारित पाया गया। इकाई का पूर्व में निरीक्षण दिनांक 25.01.2023 के समय प्लाण्ट परिसर में नालियों में एकत्रित लीचेट का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या में प्रचालकों की मात्रा बी.ओ.डी.–1260.0 मिग्रा0/ली0, सी.ओ.डी.–7100.0 मिग्रा0/ली0, टी.एस.एस.–412.0 मिग्रा0/ली0, ऑयल एण्ड ग्रीस–48.0 मिग्रा0/ली0 पायी गयी, जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है।

यह कि इकाई के पत्र दिनांक 08.06.2021 द्वारा लीचेट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एल.टी.पी.) 250 केएलडी क्षमता का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड में जमा किया गया था, जिसको पूरी तरह संचालन होने में 08 से 09 माह का समय लगना अवगत कराया गया था, जो कि अद्यतन निर्माण नही किया गया है।

यह कि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का निस्तारण न किये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक– 2537/सहमति–2240/2023 दिनांक 25.01.2023 द्वारा इकाई के विरूद्ध बोर्ड के पत्रांक–एच 87869/सी–5/एम.एस.डब्लू–01/2023 दिनांक 27.01.2023 द्वारा दिनांक 22.08.2022 से दिनांक 25.01.2023 तक कुल 157 दिन डिफाल्टर हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,20,71,000/– (रूपये सत्रह करोड़ बीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) हेतु जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने किये जाने की संस्तुति की गयी है।

....2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट–www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

(2)

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ को बोर्ड के पत्रांक–एच 87869/सी–5/एम.एस.डब्लू–01/2023 दिनांक 27.01.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित की धारा–5 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 22.08.2022 से दिनांक 26.01.2023 तक कुल डिफाल्ट 157 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल रूपये 17,20,71,000/– (रूपये सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,20,71,000/– (रूपये सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
4. जिलाधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्था के विरूद्ध अधिकरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5